सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय

KEY TO THE BUDGET DOCUMENTS

2021-2022

फरवरी / February, 2021

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

बजट प्रभाग

BUDGET DIVISION

बजट 2021-2022 के

बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय

1. वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों की सूची, निम्नानुसार हैः

(क) वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

(ख) अनुदान-मांगें (डीजी)

(ग) वित्त विधेयक

(घ) एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित विवरण :

i. वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण

ii. मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण

(ङ) व्यय बजट

(च) प्राप्ति बजट

(छ) व्यय की रूपरेखा

(ज) बजट एक नजर में

(झ) वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

(ञ) उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

(ट) बजट 2021-2022 की मुख्य विशेषताएं

(ठ) बजट घोषणाओं, 2020-2021 का कार्यान्वयन

क्रम सं. क, ख, ग के समक्ष उल्लिखित दस्तावेज क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 112, 113 और 110(क) द्वारा अधिदेशित हैं, जबकि क्रम सं. घ (i) और (ii) के समक्ष दर्शित दस्तावेज राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। क्र. सं. ङ, च, छ, ज, झ, ञ और ट पर अन्य दस्तावेज़ व्याख्यात्मक विवरणों के स्वरूप के हैं जो त्वरित अथवा प्रासंगिक संदर्भों हेतु प्रयोक्ता-अनुकूल फार्मेट में वर्णनात्मक होते हुए अधिदेशित दस्तावेज़ों के सहायक हैं। "उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा" विभिन्न केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए उनके सामने मापनीय संसूचकों और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्पादन और परिणामों के साथ होगा। इन सभी दस्तावेजों का हिन्दी पाठ भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सभी दस्तावेज वैब पाठ *http://indiabudget.gov.in* पर उपलब्ध हैं।

2.1 उपर्युक्त सूचीबद्ध बजट दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

क. वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) अनुच्छेद 112 के तहत यथा प्रदत्त एक दस्तावेज है जिसमें वर्ष 2020-21 के अनुमानों तथा साथ ही वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों को दिखाया जाता है। प्राप्तियों तथा संवितरणों को तीन भागों में दिखाया जाता है जिसमें सरकार के लेखाओं को रखा जाता है अर्थात् (i) भारत की संचित निधि, (ii) भारत की आकस्मिकता निधि, और (iii) लोक लेखा। वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य लेखाओं के व्यय से पृथक रखा जाता है जैसाकि भारत के संविधान में अधिदेशित है। राजस्व और पूंजी भाग मिलाकर संघ सरकार का बजट बनता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों और व्यय के अनुमान, वापसियों और वसूलियों को घटाकर निवल व्यय के लिए हैं।

संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे का महत्त्व तथा राजस्व और पूंजी भाग की महत्वपूर्ण विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैंः

(i) भारत की संचित निधि (सीएफआई) की विद्यमानता संविधान के अनुच्छेद 266 से उद्‌भूत है। सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियां मिल कर "संचित निधि" का रूप लेती हैं। सरकार का पूरा खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना, इस निधि में से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती।

(ii) संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि का अधिकार प्रदान करता है। यह निधि अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है और इससे सरकार को किसी भी तत्काल अप्रत्याशित व्यय को, संसद की स्वीकृति मिलने तक, पूरा करने में सहुलियत होती है। ऐसे अप्रत्याशित व्यय के लिए संसद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और ऐसे कार्योत्तर अनुमोदन के बाद, जितनी राशि आकस्मिकता निधि से निकाली जाती है, उतनी राशि संचित निधि से आहरित करके आकस्मिकता निधि की भरपाई कर दी जाती है। संसद द्वारा यथा-अधिकृत आकस्मिकता निधि की कुल राशि, इस समय, ₹500 करोड़ है।

(iii) सरकार द्वारा ट्रस्ट में धारित धनराशियों को लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत अस्तित्व में है। भविष्य निधियों; लघु बचत संग्रहणों, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों पर किए गए व्यय को छोड़कर, सरकार की आय; अन्य प्रारक्षित/विशेष निधियां आदि लोक लेखा में रखी धनराशि के उदाहरण हैं। जो लोक लेखा निधियां सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं और जिनका अन्तिम रूप से जमा करने वाले व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को वापस भुगतान करना पड़ता है, संसद की स्वीकृति ऐसे आहरणों के लिए अपेक्षित नहीं होती है। संसद से अनुमोदन तब लिया जाता है जब राशियां संचित निधि से आहरित की जाती हैं और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए इन्हें लोक लेखा में रखा जाता है। विशेष उद्देश्य पर वास्तविक व्यय को विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लोक लेखा से आहरण के लिए संसद की स्वीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट का राजस्व संबंधी भाग, जिसे संदर्भ सुलभता हेतु नीचे (iv) में राजस्व बजट कहा गया है और पूंजी संबंधी भाग, जिसे संदर्भ की सुलभता के लिए नीचे (v) में पूंजीगत बजट कहा गया है; परिसीमित किया जा सकता है।

(iv) राजस्व बजट में सरकार की राजस्व (कर-राजस्व और अन्य गैर-कर राजस्व) प्राप्तियां तथा इन राजस्वों से पूरा किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। कर-राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी विभिन्न प्रस्तावों के प्रभाव पर विचार किया जाता है। सरकार की अन्य गैर-कर प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व व्यय, सरकारी विभागों के सामान्य संचालन और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान करने, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान आदि पर होता है। मोटे तौर पर, ऐसा व्यय जिससे भारत सरकार हेतु किसी परिसम्पत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य पक्षों को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं, यद्यपि, उनमें से कुछ अनुदानों का प्रयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जा सकता है।

(v) पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण (जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है), राजकोषीय हुंडियों की बिक्री के जरिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों से लिए जाने वाले ऋण, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से प्राप्त ऋण, विनिवेश प्राप्तियाँ और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल हैं। पूंजीगत भुगतान में जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर किया जाने वाला पूंजी व्यय और शेयरों आदि में लगाई जाने वाली पूंजी तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी कम्पनियों, निगमों और अन्य पार्टियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

(vi) लेखाओं का वर्गीकरण

- संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत विहित लेखाकरण वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और खर्चों तथा अनुदान-मांगों में व्यय के अनुमान दिखाए जाते हैं।
- वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत की संचित निधि पर भारित कतिपय संवितरणों को अलग से दिखाया जाता है। संविधान में व्यय की विभिन्न मदों जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्य सभा के सभापति और उप सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते और पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज और उनकी अदायगियों और अदालती आदेशों को पूरा करने हेतु की गई अदायगियां और व्यय मदें भारत की संचित निधि पर भारित होंगी और इनके लिए लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

ख. अनुदान-मांगें

(i) संविधान के अनुच्छेद 113 में अधिदेशित है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित भारत की संचित निधि से किए जाने वाले तथा लोक सभा की स्वीकृति के लिए अपेक्षित व्यय के अनुमानों को अनुदान-मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान-मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोक सभा में प्रस्तुत की जाती हैं। साधारणतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, किसी मंत्रालय या विभाग की एक से अधिक मांगें व्यय के स्वरूप के आधार पर प्रस्तुत की जा सकती

हैं। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। बजट 2021-22 में 101 अनुदान-मांगें हैं। प्रत्येक मांग में (i) "स्वीकृत" और "भारित" व्यय (ii) "राजस्व" और "पूंजी" व्यय और (iii) व्यय की कुल राशि जिसके लिए मांग प्रस्तुत की जाती है, के सकल आधार पर जोड़ दिखाए जाते हैं। इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के अनुमान दिए जाते हैं। वसूलियों की राशियां भी दर्शाई जाती हैं। सकल राशि से वसूलियां घटाने के बाद व्यय की निवल राशि भी दर्शाई जाती हैं। इस दस्तावेज के आरम्भ में अनुदान-मांगों का सारांश दिया जाता है, जबकि इसके अंत में, "नई सेवा" अथवा "नई सेवा लिखतों" जैसे कि नई कम्पनी, उपक्रम अथवा नई योजना आदि का निरूपण, यदि कोई हो, दिया जाता है।

(ii) प्रायः प्रत्येक मांग में किसी सेवा के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान शामिल होता है अर्थात् इसमें राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के सम्बन्ध में ऋणों और अग्रिमों के लिए भी किया गया प्रावधान शामिल होता है। जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियां (अनुदान की मांग सं. 37) तो उस व्यय के लिए मांग से बिल्कुल भिन्न एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उस पर लोक सभा की स्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें "स्वीकृत" एवं "भारित" दोनों मदें शामिल हों, उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है लेकिन उस मांग में "स्वीकृत" और "भारित" व्यवस्थाएं अलग-अलग दिखाई जाती हैं।

ग. वित्त विधेयक

संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय, संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने, उनके रद्दोबदल अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें बजट संबंधी अन्य उपबंध भी होते हैं जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है, वित्त विधेयक एक धन विधेयक है।

घ. एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित विवरण

i. वृहत्-आर्थिक रूपरेखा विवरण

वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के विवरण सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केन्द्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान भी शामिल होते हैं।

ii. मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बाजार मूल्यों पर छह विशेष राजकोषीय संकेतकों अर्थात् (i) राजकोषीय घाटा (ii) राजस्व घाटा (iii) प्राथमिक घाटा (iv) कर राजस्व (v) कर-भिन्न राजस्व और (vi) केन्द्र सरकार का ऋण। इस विवरण में अंतर्निहित

पूर्वानुमानों, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरन्तरता का मूल्यांकन और अर्जक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूँजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधार लेने और निवेश करने, प्रशासित मूल्य निर्धारण, उधारों और गारंटियों से संबंधित सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की रूपरेखा भी दी जाती है। इस विवरण में यह बताया जाता है कि मौजूदा राजकोषीय नीतियां किस प्रकार मजबूत राजकोषीय प्रबंधन सिद्धान्तों के अनुरूप हैं तथा महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में आए किसी बड़े विचलन का औचित्य भी दिया जाता है।

2.2 व्याख्यात्मक दस्तावेजः

बजट की प्रमुख विशेषताओं को अधिक व्यापक रूप से समझना आसान बनाने के लिए, कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

ङ. व्यय बजट

किसी स्कीम या कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाएं किसी अनुदान मांग के राजस्व और पूंजी भागों में कई मुख्य शीर्षों में हो सकती हैं। व्यय बजट खंड में, किसी स्कीम/कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को इकट्ठा किया जाता है और राजस्व एवं पूंजी द्वारा निवल आधार पर एक स्थान पर दर्शाया जाता है। अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यथा (i) केन्द्र के व्यय और (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अंतरण। केन्द्र के व्यय श्रेणी के अंतर्गत 3 उप-वर्गीकरण किया जाता है (क) केन्द्र का स्थापना व्यय (ख) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें तथा (ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) तथा स्वायत्त निकायों पर व्यय सहित अन्य केन्द्रीय व्यय।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण की श्रेणी में निम्नलिखित 3 उप-वर्गीकरण सम्मिलित हैंः

(क) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम

(ख) वित्त आयोग अंतरण

(ग) राज्यों को अन्य अंतरण

व्यय बजट में विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित व्यय के अन्तर्निहित उद्देश्यों को समझने के लिए, इस खंड में समुचित व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल की गई हैं।

च. प्राप्ति बजट

वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित प्राप्तियों के अनुमानों का "प्राप्ति बजट" प्रलेख में पुनः विश्लेषण किया जाता है। इस प्रलेख में कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा होता है और यह अनुमानों को स्पष्ट करता है। इस प्रलेख में, राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2004 के तहत यथा अधिदेशित कर राजस्वों और कर-भिन्न राजस्वों की बकाया राशियों का उल्लेख भी किया जाता है। प्राप्ति बजट में घाटे के संकेतकों सहित प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से संबंधित विवरणी, देयता विवरणी, सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों से संबंधित विवरण, परिसम्पत्ति विवरणी और विदेशी सहायता के ब्यौरे भी शामिल होते हैं। इसमें केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के प्रभाव का विवरण भी शामिल है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया जाता है। यह दस्तावेज विगत में तेल और उर्वरकों की सब्सिडी के बदले जारी की गई प्रतिभूतियों (बंध पत्रों) के कारण सरकार की देयताओं को भी दर्शाता है। इसे पहले "परित्यक्त राजस्वों का विवरण"

कहा जाता था और 2015-16 में पृथक विवरण के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसे 2016-17 से प्राप्ति बजट में आमेलित किया गया है।

छ. व्यय की रूपरेखा

(i) पूर्व में इस दस्तावेज का शीर्षक व्यय बजट खंड-1 था। आयोजना-आयोजना-भिन्न के विलय की तर्ज पर इसे नया शीर्षक दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय और मांगों में कतिपय अन्य मदों पर व्यय का कुल योग दिया जाता है।

(ii) वर्तमान लेखाकरण तथा बजट प्रक्रियाओं के अन्तर्गत, कतिपय वर्ग की प्राप्तियों, जैसे एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को की गई अदायगी और पूंजी परियोजनाओं या योजनाओं से होने वाली आय को, उस विभाग के खर्च में से, जिसे यह रकम मिलेगी, घटा दिया जाता है। जबकि अनुदान-मांगों में व्यय के अनुमान सकल व्यय के अनुमान होते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए जाने वाले व्यय के अनुमान, वसूलियों को ध्यान में रखते हुए निवल व्यय के अनुमान होते हैं। व्यय बजट दस्तावेज में कतिपय अन्य शोधन भी किए गए हैं जैसे संबंधित प्राप्तियों का व्यय घटाना ताकि प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों को बढ़ने से रोका जा सके। इस दस्तावेज में संक्षिप्त कारणों के साथ बजट अनुमान 2020-21 और संशोधित अनुमान 2020-21 के बीच बड़े अन्तरों के साथ-साथ सं.अ. 2020-21 और ब.अ. 2021-22 के बीच अन्तर को दर्शाने वाला निवल शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को किए गए अंशदानों और विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना सम्बन्धी अनुमानित संख्या तथा उनके लिए किए गए प्रावधानों को पृथक विवरणों में दर्शाया जाता है। इस प्रलेख में (i) महिलोन्मुख बजटिंग (ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटन तथा (iii) बाल कल्याण योजनाओं को दर्शाने वाले अलग-अलग विवरण भी शामिल किए जाते हैं। इसमें इनसे संबंधित विवरण भी हैं। वे हैं (i) स्वायत्तशासी निकायों के संबंध में व्यय का ब्यौरा और बजट अनुमान (ii) लोक लेखा में कतिपय विशेष निधियों का ब्यौरा।

(iii) योजना व्यय

केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय का अनुपात काफी अधिक होता है। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान-मांगों में, योजना व्यय को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम दो अलग-अलग श्रेणियों में दर्शाया गया है। व्यय की रूपरेखा में प्रत्येक मंत्रालय के कुल आयोजना खर्च को विभिन्न श्रेणियों अर्थात् केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम, स्थापना, अन्य केन्द्रीय व्यय, राज्यों को अन्तरण आदि और अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट में की गई खर्च की व्यवस्था को स्पष्ट करके दिखाया गया है। इस दस्तावेज में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण भी शामिल है।

(iv) सरकारी क्षेत्र के उद्यम

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर एक ब्यौरेवार रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग द्वारा अलग से प्रकाशित "सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा" नामक पुस्तक में दी जाती है। विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के अधीन उद्यमों के कार्यचालन की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में भी दी जाती है, जो संसद सदस्यों को अलग से परिचालित की जाती है। प्रत्येक सरकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे अलग से संसद के सभा पटल पर रखे जाते हैं। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी संसद के समक्ष रखी जाती है।

(v) वाणिज्यिक विभाग

रेलवे, सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाया जाने वाला प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। रेल मंत्रालय का बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदान-मांगें वित्त वर्ष 2017-18 से केन्द्रीय बजट के साथ संसद में प्रस्तुत की जाती हैं। व्यय की रूपरेखा में रेलवे से संबंधित अन्य हितों का ब्यौरा तथा रेलवे की अनुदान मांगों की सभी मुख्य पहलुओं के साथ रेलवे का पृथक भाग होता है। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। विवरण में विभागीय रूप से चलाए जाने वाले वाणिज्यिक उपक्रमों का ब्यौरा दर्शाया गया है। वास्तविक कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने और प्राप्तियों अथवा व्यय दोनों को न बढ़ाने के लिए, व्यय की रूपरेखा और व्यय बजट में दिखाया गया व्यय, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियों को घटाकर दिखाया जाता है।

(vi) वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा मंत्रालय की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा सेवाओं के अनुमानों के प्रलेख में अधिक विस्तृत रूप से बताया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

(vii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अलावा, निकायों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे गैर-सरकारी निकायों को अदा किए गए सहायता अनुदानों के विवरणों में दिए जाते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ संलग्न होते हैं।

ज. बजट एक नजर में

(i) इस दस्तावेज में, कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ, प्राप्तियों और खर्चों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया जाता है। इस पुस्तक में केन्द्रीय सरकार का राजस्व घाटा, मूल सकल घाटा और सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक राजस्व व्यय सरकार का राजस्व घाटा होता है। एक ओर, राजस्व, पूंजी और अदायगियों को घटाकर ऋणों के द्वारा सरकार के कुल व्यय और दूसरी ओर, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और पूंजी, जिनका स्वरूप उधार का नहीं होता परन्तु जो अन्तिम रूप से सरकार को प्राप्त होती हैं, के बीच का अन्तर सकल राजकोषीय घाटा होता है। मूल सकल घाटा, सकल ब्याज अदायगियों को घटाकर, सकल राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है। बजट पत्रों में "सकल राजकोषीय घाटे" और "सकल मूल घाटे" को क्रमशः "राजकोषीय घाटा" और "मूल घाटा" के संक्षिप्त रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) इस दस्तावेज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरित कुल संसाधनों की मात्रा एवं स्वरूप (केन्द्रीय करों, अनुदानों/ऋण में हिस्सा) को सूचित करने वाला विवरण भी शामिल होता है। करों, सहायता अनुदानों और ऋणों के रूप में अंतरित की जाने वाली राशियों का ब्यौरा व्यय की रूपरेखा (विवरण सं. 18) में दिया जाता है। राज्यों को अधिकांश अनुदान तथा ऋण, वित्त मंत्रालय द्वारा संवितरित किए जाते हैं और इन्हें "राज्यों को अंतरण" मांग में तथा 'दिल्ली को अंतरण' मांग एवं 'पुदुचेरी को अंतरण' नामक मांग में शामिल किया जाता है। अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान और ऋण उनकी संबंधित मांगों में दर्शाए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार का बजट मात्र प्राप्तियों और व्यय का विवरण नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यह सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण प्रलेख भी बन गया है। बजट देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है और उसे स्वरूप प्रदान करता है और बदले में ही देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप उसका निर्धारण किया जाता है। सरकारी प्राप्तियों में बढ़ोतरी और व्यय का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव के बेहतर मूल्यांकन के लिए यह जरूरी है कि उन्हें कतिपय आर्थिक महत्व के सन्दर्भ में समूहबद्ध किया जाए, उदाहरणार्थ पूंजी-निर्माण के लिए अलग से कितनी धनराशि रखी गयी है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितना खर्च किया गया है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों को अनुदानों, ऋणों आदि के रूप में कितना धन अंतरित किया गया है। यह विश्लेषण, केंद्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण प्रलेख में किया गया है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार किया जाता है।

झ. वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त विधेयक में निहित कराधान संबंधी प्रस्ताव आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए वित्त विधेयक के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन नामक दस्तावेज में उपबंधों और उनके निहितार्थों की व्याख्या दी जाती है।

ञ. उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित (सीएसएस) ₹500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय वाली दोनों स्कीमों के लिए परिणाम बजट सहित स्कीमों के मदवार व्यय के साथ उत्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तैयार की जाएगी और यह अनुदानों की विस्तृत मांगों (डीडीजी) के साथ संसद में प्रस्तुत की जाएगी।

ट. बजट 2021-2022 की मुख्य विशेषताएं

यह दस्तावेज सरकार के आर्थिक विजन तथा वृद्धि और कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था के महत्व वाले क्षेत्रों में प्रमुख नीतिगत पहलों का आशुचित्र (स्नैपशॉट) सारांश है। राजकोषीय समेकन तथा सरकारी वित्त के प्रबंधन के साथ-साथ इस दस्तावेज में राजकोषीय वर्ष 2021-2022 के लिए प्रमुख बजट प्रस्तावों का विहंगम दृश्य भी शामिल किया जाता है।

ठ. बजट घोषणाओं 2020-2021 का कार्यान्वयन

इस दस्तावेज में माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण 2020-21 में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति सार-संक्षेप में दी गई है।

KEY TO BUDGET DOCUMENTS

BUDGET 2021-2022

1. The list of Budget documents presented to the Parliament, besides the Finance Minister's Budget Speech, is given below:

A. Annual Financial Statement (AFS)

B. Demands for Grants (DG)

C. Finance Bill

D. Statements mandated under FRBM Act:

   i. Macro-Economic Framework Statement

   ii. Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement

E. Expenditure Budget

F. Receipt Budget

G. Expenditure Profile

H. Budget at a Glance

I. Memorandum Explaining the Provisions in the Finance Bill

J. Output Outcome Monitoring Framework

K. Key Features of Budget 2021-22

L. Implementation of Budget Announcements,2020-2021

The documents shown at Serial Nos. A, B, and C are mandated by Art. 112,113 and 110(a) of the Constitution of India respectively, while the documents at Serial No. D(i) and (ii) are presented as per the provisions of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. Other documents at Serial Nos. E, F, G, H, I, J, K and L are in the nature of explanatory statements supporting the mandated documents with narrative in a user-friendly format suited for quick or contextual references. The "Output Outcome Monitoring Framework" will have clearly defined outputs and outcomes for various Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes with measurable indicators against them and specific targets for FY 2021-22. Hindi version of all these documents is also presented to the Parliament. The Budget documents can be accessed at *http://indiabudget.gov.in.*

2.1 A brief description of the Budget documents listed above is as follows:

A. Annual Financial Statement (AFS)

The Annual Financial Statement (AFS), the document as provided under Article 112, shows the estimated receipts and expenditure of the Government of India for 2021-22 in relation to

estimates for 2020-21 as also actual expenditure for the year 2019-20. The receipts and disbursements are shown under three parts in which Government Accounts are kept viz., (i) The Consolidated Fund of India, (ii) The Contingency Fund of India and (iii) The Public Account of India. The Annual Financial Statement distinguishes the expenditure on revenue account from the expenditure on other accounts, as is mandated in the Constitution of India. The Revenue and the Capital sections together, make the Union Budget. The estimates of receipts and expenditure included in the Annual Financial Statement are for expenditure net of refunds and recoveries.

The significance of the Consolidated Fund, the Contingency Fund and the Public Account as well as the distinguishing features of the Revenue and the Capital portions are given below briefly:

(i) The Consolidated Fund of India (CFI) draws its existence from Article 266 of the Constitution. All revenues received by the Government, loans raised by it, and also receipts from recoveries of loans granted by it, together form the Consolidated Fund of India. All expenditure of the Government is incurred from the Consolidated Fund of India and no amount can be drawn from the Consolidated Fund without due authorization from the Parliament.

(ii) Article 267 of the Constitution authorises the existence of a Contingency Fund of India which is an imprest placed at the disposal of the President of India to facilitate meeting of urgent unforeseen expenditure by the Government pending authorization from the Parliament. Parliamentary approval for such unforeseen expenditure is obtained, ex-post-facto, and an equivalent amount is drawn from the Consolidated Fund to recoup the Contingency Fund after such ex-post-facto approval. The corpus of the Contingency Fund as authorized by Parliament presently stands at ₹500 crore.

(iii) Moneys held by Government in trust are kept in the Public Account. The Public Account draws its existence from Article 266 of the Constitution of India. Provident Funds, Small Savings collections, income of Government set apart for expenditure on specific objects such as road development, primary education, other Reserve/Special Funds etc., are examples of moneys kept in the Public Account. Public Account funds that do not belong to the Government and have to be finally paid back to the persons and authorities, who deposited them, do not require Parliamentary authorisation for withdrawals. The approval of the Parliament is obtained when amounts are withdrawn from the Consolidated Fund and kept in the Public Account for expenditure on specific objects. The actual expenditure on the specific object is again submitted for vote of the Parliament for withdrawal from the Public Account for incurring expenditure on the specific objects. The Union Budget can be demarcated into the part pertaining to revenue which is for ease of reference termed as Revenue Budget in (iv) below and the part pertaining to Capital which is for ease of reference termed as Capital Budget in (v) below.

(iv) The Revenue Budget consists of the revenue receipts of the Government (Tax revenues and other Non-Tax revenues) and the expenditure met from these revenues. Tax revenues comprise proceeds of taxes and other duties levied by the Union. The estimates of revenue receipts shown in the Annual Financial Statement take into account the effect of various taxation proposals made in the Finance Bill. Other non-tax receipts of the Government mainly consist of interest and dividend on investments made by the

Government, fees and other receipts for services rendered by the Government. Revenue expenditure is for the normal running of Government departments and for rendering of various services, making interest payments on debt, meeting subsidies, grants in aid, etc. Broadly, the expenditure which does not result in creation of assets for the Government of India, is treated as revenue expenditure. All grants given to the State Governments/Union Territories and other parties are also treated as revenue expenditure even though some of the grants may be used for creation of capital assets.

(v) Capital receipts and capital payments together constitute the Capital Budget. The capital receipts are loans raised by the Government from the public (these are termed as market loans), borrowings by the Government from the Reserve Bank of India and other parties through the sale of Treasury Bills, the loans received from foreign Governments and bodies, disinvestment receipts and recoveries of loans from State and Union Territory Governments and other parties. Capital payments consist of capital expenditure on acquisition of assets like land, buildings, machinery, equipment, as also investments in shares, etc., and loans and advances granted by the Central Government to the State and the Union Territory Governments, Government companies, Corporations and other parties.

(vi) Accounting Classification

- The estimates of receipts and disbursements in the Annual Financial Statement and of expenditure in the Demands for Grants are shown according to the accounting classification referred to under Article 150 of the Constitution.

- The Annual Financial Statement shows, certain disbursements distinctly, which are charged on the Consolidated Fund of India. The Constitution of India mandates that such items of expenditure such as emoluments of the President, salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha, salaries, allowances and pensions of the Judges of the Supreme Court, the Comptroller and Auditor-General of India and the Central Vigilance Commission, interest on and repayment of loans raised by the Government and payments made to satisfy decrees of courts etc., may be charged on the Consolidated Fund of India and are not required to be voted by the Lok Sabha.

B. Demands for Grants

(i) Article 113 of the Constitution mandates that the estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India included in the Annual Financial Statement and required to be voted by the Lok Sabha, be submitted in the form of Demands for Grants. The Demands for Grants are presented to the Lok Sabha along with the Annual Financial Statement. Generally, one Demand for Grant is presented in respect of each Ministry or Department. However, more than one Demand may be presented for a Ministry or Department depending on the nature of expenditure. With regard to Union Territories without Legislature, a separate Demand is presented for each of such Union Territories. In Budget 2021-22 there are 101 Demands for Grants. Each Demand initially gives separately the totals of (i) 'voted' and 'charged' expenditure; (ii) the 'revenue' and the 'capital' expenditure and (iii) the grand total on gross basis of the amount of expenditure

for which the Demand is presented. This is followed by the estimates of expenditure under different major heads of account. The amounts of recoveries are also shown. The net amount of expenditure after reducing the recoveries from the gross amount is also shown. A summary of Demands for Grants is given at the beginning of this document, while details of 'New Service' or 'New Instrument of Service' such as, formation of a new company, undertaking or a new scheme, etc., if any, are indicated at the end of the document.

(ii) Each Demand normally includes the total provisions required for a service, that is, provisions on account of revenue expenditure, capital expenditure, grants to State and Union Territory Governments and also loans and advances relating to the service. Where the provision for a service is entirely for expenditure charged on the Consolidated Fund of India, for example, interest payments (Demand for Grant No. 37), a separate Appropriation, as distinct from a Demand, is presented for that expenditure and it is not required to be voted by the Lok Sabha. Where, however, expenditure on a service includes both 'voted' and 'charged' items of expenditure, the latter are also included in the Demand presented for that service but the 'voted' and 'charged' provisions are shown separately in that Demand.

C. Finance Bill

At the time of presentation of the Annual Financial Statement before the Parliament, a Finance Bill is also presented in fulfilment of the requirement of Article 110 (1)(a) of the Constitution, detailing the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of taxes proposed in the Budget. It also contains other provisions relating to Budget that could be classified as Money Bill. A Finance Bill is a Money Bill as defined in Article 110 of the Constitution.

D. Statements mandated under FRBM Act.

i. Macro-Economic Framework Statement

The Macro-Economic Framework Statement is presented to Parliament under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 and the rules made thereunder. It contains an assessment of the growth prospects of the economy along with the statement of specific underlying assumptions. It also contains an assessment regarding the GDP growth rate, the domestic economy and the stability of the external sector of the economy, fiscal balance of the Central Government and the external sector balance of the economy.

ii. Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement

The Medium-Term Fiscal Policy Statement cum Fiscal Policy Strategy Statement is presented to Parliament under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. It sets out the three-year rolling targets for six specific fiscal indicators in relation to GDP at market prices, namely (i) Fiscal Deficit, (ii) Revenue Deficit, (iii) Primary Deficit (iv) Tax Revenue (v) Non-tax Revenue and (vi) Central Government Debt. The Statement includes the underlying assumptions, an assessment of the balance between revenue receipts and revenue expenditure and the use of capital receipts including market borrowings for the creation of productive assets. It also outlines for the existing financial year, the strategic priorities of the Government relating to taxation, expenditure, lending and investments, administered pricing, borrowings and guarantees. The Statement explains how the current fiscal policies are in

conformity with sound fiscal management principles and gives the rationale for any major deviation in key fiscal measures.

2.2 Explanatory Documents:

To facilitate a more comprehensive understanding of the major features of the Budget, certain other explanatory documents are presented. These are briefly summarized below:

E. Expenditure Budget

The provisions made for a scheme or a programme may be spread over a number of Major Heads in the Revenue and Capital sections in a Demand for Grants. In the Expenditure Budget, the estimates made for a scheme/programme are brought together and shown on a net basis on Revenue and Capital basis at one place. Expenditure of individual Ministries/ Departments are classified under 2 broad Umbrellas (i)Centres' Expenditures and (ii) Transfers to States/ Union Territories(UTs). Under the Umbrella of Centres' Expenditure there are 3 sub-classification (a) Establishment expenditure of the Centre (b) Central Sector Schemes and (c) Other Central Expenditure including those on Central Public Sector Enterprises(CPSEs) and Autonomous Bodies.

The Umbrella of Transfers to States/UTs includes the following 3 sub- classification:

(a) Centrally Sponsored Scheme

(b) Finance Commission Transfers

(c) Other Transfer to States

To understand the objectives underlying the expenditure proposed for various schemes and programmes in the Expenditure Budget, suitable explanatory notes are included in this volume.

F. Receipt Budget

Estimates of receipts included in the Annual Financial Statement are further analysed in the document "Receipt Budget". The document provides details of tax and non-tax revenue receipts and capital receipts and explains the estimates. The document also provides a statement on the arrears of tax revenues and non-tax revenues, as mandated under the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004. Trend of receipts and expenditure along with deficit indicators, statement pertaining to National Small Savings Fund (NSSF), Statement of Liabilities, Statement of Guarantees given by the government, statements of Assets and details of External Assistance are also included in Receipts Budget. This also includes the Statement of Revenue Impact of Tax Incentives under the Central Tax System which seeks to list the revenue impact of tax incentives that are proposed by the Central Government. This document also shows liabilities of the Government on account of securities (bonds) issued in lieu of oil and fertilizer subsidies in the past. This was earlier called 'Statement of Revenue Foregone' and brought out as a separate statement in 2015-16. This has been merged in the Receipts Budget from 2016-17 onwards.

G Expenditure Profile

(i) This document was earlier titled Expenditure Budget - Vol-I. It has been recast in line with the decision on Plan-Non Plan merger. It gives an aggregation of various types of

expenditure and certain other items across demands.

(ii) Under the present accounting and budgetary procedures, certain classes of receipts, such as payments made by one Department to another and receipts of capital projects or schemes, are taken in reduction of the expenditure of the receiving Department. While the estimates of expenditure included in the Demands for Grants are for the gross amounts, the estimates of expenditure included in the Annual Financial Statement are for the net expenditure, after taking into account the recoveries. The document makes certain other refinements such as netting expenditure of related receipts so that overstatement of receipts and expenditure figures is avoided. The document contains statements indicating major variations between BE 2020-21 and RE 2020-21 as well as between RE 2020-21 and BE 2021-22 with brief reasons. Contributions to International bodies and estimated strength of establishment of various Government Departments and provision thereof are shown in separate Statements. A statement each, showing (i) Gender Budgeting (ii) Schemes for Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes including Scheduled Caste Sub Scheme (SCSS) and Tribal Sub Scheme (TSS) allocations and (iii) Schemes for the Welfare of Children are also included in this document. It also has statements on (i) the expenditure details and budget estimates regarding Autonomous Bodies and (ii) the details of certain important funds in the Public Account.

(iii) Scheme Expenditure

Scheme expenditure forms a sizeable proportion of the total expenditure of the Central Government. The Demands for Grants of the various Ministries show the Scheme expenditure under the two categories of Centrally Sponsored Schemes and Central Sector Schemes separately. The Expenditure Profile also gives the total provisions for each of the Ministries arranged under the various categories- Centrally Sponsored Schemes, Central Sector Schemes, Establishment, Other Central Expenditure, Transfer to States etc. and highlights the budget provisions for certain important programmes and schemes. Statements showing externally aided projects are also included in the document.

(iv) Public Sector Enterprises

A detailed report on the working of public sector enterprises is given in the document titled ‘Public Enterprises Survey’ brought out separately by the Department of Public Enterprises. A report on the working of the enterprises under the control of various administrative Ministries is also given in the Annual Reports of the various Ministries circulated to the Members of Parliament separately. The annual reports along with the audited accounts of each of the Government companies are also separately laid before the Parliament. Besides, the reports of the Comptroller and Auditor General of India on the working of various Public Sector Enterprises, are also laid before Parliament.

(v) Commercial Departments

Railways is the principal departmentally-run commercial undertaking of Government. The Budget of the Ministry of Railways and the Demands for Grants relating to Railway expenditure are presented to the Parliament together with the Union Budget from the financial year 2017-18 onwards. The Expenditure Profile has a separate section on Railways to capture all the salient aspects of the demand for grants of Railways and other details of interest regarding

Railways. The total receipts and expenditure of the Railways are, incorporated in the Annual Financial Statement of the Government of India. Details of other commercially run departmental undertakings are also shown in a statement. Expenditure is depicted in the Expenditure Profile and Expenditure Budget, net of receipts of the Departmental Commercial Undertakings, in order to avoid overstatement of both receipts and expenditure.

(vi) The receipts and expenditure of the Ministry of Defence Demands shown in the Annual Financial Statement, are explained in greater detail in the document Defence Services Estimates presented with the Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence.

(vii)The details of grants given to bodies other than State and Union Territory Governments are given in the statements of Grants-in-aid paid to non-Government bodies appended to Detailed Demands for Grants of the various Ministries.

H. Budget at a Glance

(i) This document shows in brief, receipts and disbursements along with broad details of tax revenues and other receipts. This document provides details of resources transferred by the Central Government to State and Union Territory Governments. This document also shows the revenue deficit, the gross primary deficit and the gross fiscal deficit of the Central Government. The excess of Government's revenue expenditure over revenue receipts constitutes revenue deficit of Government. The difference between the total expenditure of Government by way of revenue, capital and loans net of repayments on the one hand and revenue receipts of Government and capital receipts which are not in the nature of borrowing but which accrue to Government on the other, constitutes gross fiscal deficit. Gross primary deficit is gross fiscal deficit reduced by the gross interest payments. In the Budget documents 'gross fiscal deficit' and 'gross primary deficit' have been referred to in abbreviated form 'fiscal deficit' and 'primary deficit', respectively.

(ii) The document also includes a statement indicating the quantum and nature (share in Central Taxes, grants/loan) of the total Resources transferred to States and Union Territory Governments. Details of these transfers by way of share of taxes, grants-in-aid and loans are given in Expenditure Profile (Statement No.18). Bulk of grants and loans to States are disbursed by the Ministry of Finance and are included in the Demand 'Transfers to States' and in the Demand 'Transfer to Delhi' and Transfer to Puducherry'. The grants and loans released to States and Union Territories by other Ministries/ Departments are reflected in their respective Demands.

The Budget of the Central Government is not merely a statement of receipts and expenditure. Since Independence, it has become a significant statement of government policy. The Budget reflects and shapes, and is, in turn, shaped by the country's economy. For a better appreciation of the impact of government receipts and expenditure on the other sectors of the economy, it is necessary to group them in terms of certain economic magnitudes, for example, how much is set aside for capital formation, how much is spent directly by the Government and how much is transferred by Government to other sectors of the economy by way of grants, loans, etc. This analysis is contained in the Economic and Functional Classification of the Central Government Budget which is brought out by the Ministry of Finance separately.

I. Memorandum Explaining the Provisions in the Finance Bill

To facilitate understanding of the taxation proposals contained in the finance Bill, the provisions and their implications are explained in the document titled Memorandum Explaining the Provisions in the Finance Bill.

J. Output Outcome Monitoring Framework

Outcome Budget with Output-Outcome Monitoring Framework(OOMF) for Central Sector Schemes(CSs) and Centrally Sponsored Schemes(CSSs) with financial outlay of ₹500 crore each, the output-outcome monitoring framework with itemized expenditure of the schemes will be prepared by the respective Ministry/Department and the same will be presented in the Parliament along with the Detailed Demand for Grants(DDG).

K. Key Features of Budget 2021-22

The Document is a snapshot summary of the economic vision of the Government and the major policy initiatives in the thrust areas of the economy for growth and welfare. Major milestones achieved in fiscal consolidation and management of the Government finances along with a bird's eye view of the key budget proposals for the fiscal year 2021-22 are also included in the document.

L. Implementation of Budget Announcements 2020-21

The Document summarises the status of implementation of the announcements made by Hon'ble Finance Minister in the Budget Speech 2020-21.